


प्रदेश के 41 जिलों में 42 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष केंद्र खुलेंगे

आयुष मिशन को 108 करोड़ स्वीकृत



कैबिनेट
फैसले

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

केंद्र सरकार ने प्रदेश में आयुष मिशन के कार्यक्रमों के लिए 108.55 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें केन्द्र सरकार का सहयोग 65.13 करोड़ रुपये का होगा जबकि राज्य सरकार 43.42 करोड़ रुपये लगाएगी। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं राज्य आयुष सोसाइटी के अध्यक्ष डा. अनूप चंद्र पांडेय ने दी है। उन्होंने कहा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 41 जिलों में कुल 42 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इनमें 23 केन्द्र आयुर्वेदिक, 12 केन्द्र होम्योपैथी तथा 7 केन्द्र यूनानी चिकित्सालयों में खोले जाएंगे।

सातवां वेतन आयोग : इन कर्मियों को मिलेगा लाभ

कमेटी राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान व भत्ते देने के संबंध में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देगी। कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को वेतनमान के साथ पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ, अन्य भत्तों व सुविधाओं का पुनरीक्षण भी करके अपनी सिफारिश देगी। इसके बाद कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी देगी, जिसके बाद यह लाभ मिलना शुरू होगा।

एचआरए को कैबिनेट की मंजूरी नहीं

प्रदेश के 22 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 20 फीसदी एचआरए (मकान किराया भत्ता) बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। लेकिन यह मंजूरी देरी से मिलने के कारण वित्त विभाग के अधिकारी एचआरए बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए समय से पेश नहीं कर सके। इसलिए इसे कैबिनेट की सोमवार की बैठक में मंजूरी नहीं मिल सकी। अब अगली कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

मदरसों के शिक्षकों व कर्मियों की नई सेवा विनियमावली जारी

कैबिनेट ने प्रदेश के मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सेवा विनियमावली जारी कर दी है। इससे पूर्व 1987 से एक सेवा विनियमावली थी, मगर 2004 में मदरसा बोर्ड एक्ट आने के बाद नई सेवा विनियमावली बननी थी जो कि अब तक नहीं बनी थी। अब जाकर प्रदेश सरकार ने अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 के प्रख्यापन की अनुमति प्रदान की है।

एटा-कासगंज समेत 36 जिलों में मोबाइल मेडिकल सेवा

राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल सेवा शुरू करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में एटा, कासगंज समेत 36 जिलों में परियोजना चलाने के लिए तैयार किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट (आरएफपी) को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना पीपीपी मॉडल पर चलाई जाएगी। खर्च नेशनल हेल्थ मिशन से दिया जाएगा। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इसकी देखरेख करेंगे। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट (एनएमएमयू) की प्रत्येक यूनिट में दो गाड़ियां होंगी। एक में मेडिकल उपकरण तथा दूसरे में स्टॉफ होंगे।